प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

आज़ादी का अमृत महोत्सव

31 दिसंबर 2021

भारत सरकार के खज़ाना बिलों के नीलामी का कैलेंडर

(मार्च 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)

केंद्र सरकार की नकद स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से मार्च 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम के लिए निम्नानुसार राशियां अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:

खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि
(01 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022)

(₹ करोड़)

नीलामी की तारीख	निर्गम तारीख	91 दिवसीय	182 दिवसीय	364 दिवसीय	कुल
05 जनवरी 2022	06 जनवरी 2022	5,000	10,000	11,000	26,000
12 जनवरी 2022	13 जनवरी 2022	5,000	10,000	11,000	26,000
19 जनवरी 2022	20 जनवरी 2022	5,000	10,000	11,000	26,000
25 जनवरी 2022	27 जनवरी 2022	5,000	10,000	11,000	26,000
02 फरवरी 2022	03 फरवरी 2022	5,000	10,000	11,000	26,000
09 फरवरी 2022	10 फरवरी 2022	5,000	10,000	11,000	26,000
16 फरवरी 2022	17 फरवरी 2022	5,000	10,000	11,000	26,000
23 फरवरी 2022	24 फरवरी 2022	5,000	10,000	11,000	26,000
02 मार्च 2022	03 मार्च 2022	5,000	10,000	11,000	26,000
09 मार्च 2022	10 मार्च 2022	5,000	10,000	10,000	25,000
16 मार्च 2022	17 मार्च 2022	5,000	10,000	10,000	25,000
23 मार्च 2022	24 मार्च 2022	5,000	10,000	10,000	25,000
30 मार्च 2022	31 मार्च 2022	5,000	10,000	10,000	25,000
कुल		**65,000**	**1,30,000**	**1,39,000**	**3,34,000**

2. भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को उचित सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, यदि बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होगा तो उसे प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज़ाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2018 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

(योगेश दयाल)

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1466

मुख्य महाप्रबंधक